



आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
28.9.18	<p style="text-align: center;">न्यायालय अपर समाहर्ता, मुंगेर</p> <p style="text-align: center;">जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-06/2018-19</p> <p style="text-align: center;">राज्य</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p style="text-align: center;">श्री कुणाल कुमार, पे0-बालेश्वर मंडल एवं अन्य</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, मुंगेर के पत्रांक 354, दिनांक- 13.07.2018 द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण 06/2018-19 राज्य बनाम श्री कुणाल कुमार एवं अन्य का अभिलेख टोपो लैंड की जमाबन्दी रद्द करने हेतु जो अंचलाधिकारी सदर मुंगेर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा-हरनाथपुर करारी, तौजी नं0-415, 6631, खाता+खेसरा-टोपो से संबंधित भूमि जिसका जमाबंदी नं0 क्रमः- 43, 118, 47/193, 664, 695, 85, 70/216, 584, 121, 58/204 एवं 31 पर श्री कुणाल कुमार, पे0-बालेश्वर मंडल एवं दस अन्य, सा0-लाल दरबाजा का नाम पंजी-2 में दर्ज है जिसे अनुशंसा के साथ जमाबन्दी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।</p> <p>प्रस्तुत वाद को दिनांक-17.07.2018 को अंगीकृत करते हुए राज्य की ओर से टोपो लैंड के दावाकर्ता को नोटिस इस अण्य से दिया गया कि वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर दावा सिद्ध कर सकते हैं। इस संदर्भ में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की मांग की गई थी, इस आलोक में दूसरी तिथि 23.08.2018 को निर्धारित की गई एवं अंतिम बहस की सुनवाई हेतु दिनांक-25.09.2018 को तिथि निर्धारित की गई। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मौखिक बहस के अलावा लिखित बहस दिनांक 25.09.2018 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रस्तुत लिखित बहस में सरकारी अधिवक्ता ने यह उल्लेख किया है कि गंगा के गर्भ वाली जमीन को बंगाल सर्वे एक्ट के द्वारा सर्वे नहीं किया जा सका, वह भूमि 'टोपो लैंड' के नाम से जाना गया। प्रश्नगत टोपो भूमि उपरोक्त जमाबंदी रैयत के नाम से कभी सरकार द्वारा बन्दोवस्त नहीं किया गया है एवं खतियान भी तैयार नहीं हुआ है।</p>	



आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>इस प्रकार प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि है। इसी आलोक में बहस के दौरान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक C.W.J.C. No. 325/18 सुरेन्द्र प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम् राज्य का जिक्र किया गया है, जो इस वाद से संबंधित नहीं है।</p> <p>प्रस्तुत वाद से संबंधित एक मामला तारकदास आचार्य चौधरी वनाम् राज्य सेक्रेटरी (AIR-1935 PC 125) में यह Privy Council द्वारा निर्धारण किया गया कि जिस भूमि का सर्वे नहीं किया गया वह जमीन सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी और सरकार को प्रस्तुत भूमि का स्वायत्त दखल कब्जा और हित पूर्णरूपेण प्राप्त है। पूर्व में अंचल कार्यालय द्वारा जो भी जमाबंदी दावाधारियों के पक्ष में सृजित किया गया है वह विधिवत नहीं किया गया है, इसलिए यह वैध नहीं है। इस प्रकार जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में जो भी दस्तावेज दाखिल किया गया है उक्त सभी वादों में राज्य सरकार पक्षकार नहीं है। इसलिए उक्त वार्ता पर राज्य सरकार के स्वत्व एवं दखल कब्जा को बाधित नहीं करता है। किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी सृजन से उनके पक्ष में स्वत्व का होना नहीं माना जाता है इसलिए जो भी मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया गया है वह तो विधिवत जमाबंदी सृजन के बगैर है। उक्त प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह दावे एवं स्वत्व का समर्थन नहीं करता है।</p> <p>उक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मुंगेर द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि के चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुज्ञा की गयी है। इस प्रकार निदेशक भू-अर्जन, बिहार पटना के पत्रांक-652/रा0 दिनांक-8.6.18 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि टोपो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर किसी रैयत क्लेष के स्वामित्व/ अधिकार नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए एवं इसी आलोक में भारत के राजपत्र संख्या-1215, दिनांक-18.5.16 में यह अंकित है कि उक्त मौजे की जमीन कृषि टोपो लैण्ड है। उक्त जमाबंदी रैयत (प्रतिवादि) द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित वांछित कागजात यथा केबाला की छायाप्रति,</p>	



राजस्व रसीद की छायाप्रति तथा अन्य कागजात समर्पित किया है जो कि अभिलेखबद्ध है।

विदित हो कि निबंधन कार्यालय सिर्फ दस्तावेजों का निबंधन करता है। दस्तावेजों में वर्णित भूमि के स्वत्व अधिकार एवं दखल कबजा से उसका कोई दखल नहीं है। इस प्रकार यदि कोई निबंधित दस्तावेज निबंधन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है तो भी राज्य के स्वत्व अधिकार पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था। अतः खारिज होने योग्य है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं सम्बन्धित पदाधिकारी के अनुज्ञा के आधार पर तथा उक्त विभागीय परिपत्र के आलोक में एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त उक्त मौजा-हरनाथपुर करारी, तौजी नं0-415, 6631, खाता+खेसरा-टोपो, से संबंधित निम्न ब्यौरे की जमीन की चल रही जमाबंदी को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 09 के तहत रद्द की जाती है।

जमीन का ब्यौरा:-

क्रम सं0	मौजा	तौजी नं0	जमाबंदी रैयत का नाम	खाता +खेसरा	रकवा ए0-डी0	जमाबंदी सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	हरनाथपुर करारी	415	कुणाल कुमार, पे0-बालेश्वर मंडल, सा0-शेरपुर	टोपो	0-62.5	43
2	हरनाथपुर करारी	415	मसो0 पाना देवी, जौ0- स्व0 लक्ष्मी यादव, मसो0-मानस देवी, जौ0 स्व0 तरुण यादव, मसो0- गीता देवी जौ0 स्व0 वरुण यादव वो अरुण यादव वो भूषण यादव व डकलेश यादव पे0-स्व0 लक्ष्मी यादव	टोपो	2-06.5	118
3	हरनाथपुर करारी	6631	अनारसी मंडल पे0 साधो मंडल	टोपो	0-18	47/193
4	हरनाथपुर करारी	6631	रंजित राय व बुद्धु राय व निरंजन पे0-सुखदेव राय, सा0-बरियाही	टोपो	0-6.25	664
5	हरनाथपुर करारी	6631	पानो देवी जौ0 मुकेश कुमार सिंह, सा0-आदर्श ग्राम टीकारामपुर	टोपो	0-3.12	695




आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
----------------------------------	---------------------------------------	--

6	हरनाथपुर करारी	6631	वनारसी मंडल पे0 साधो मंडल	टोपो	0-85	85
7	हरनाथपुर करारी	6631	विजय यादव व कैलाश यादव व सुनिल यादव व रंजित यादव व संजित यादव व फ़दुस यादव पे0-रघु यादव उर्फ रघुनन्दन यादव	टोपो	1-25	70/216
8	हरनाथपुर करारी	6631	मसो0 सुशीला देवी जौ0 दीपनारायण यादव, सा0-शेरपुर	टोपो	0-93.75	584
9	हरनाथपुर करारी	6631	चमेली देवी जौ0-शिवनन्दन यादव	टोपो	0-93.75	121
10	हरनाथपुर करारी	6631	बोलटन यादव पे0 तोता यादव	टोपो	0-62.5	58/204
11	हरनाथपुर करारी	6631	उपेन्द्र मंडल व जोगेन्द्र मंडल पे0 लोकनाथ मंडल	टोपो	0-62.5	31

इस वाद में पारित आदेश का अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,
मुंगेर।


अपर समाहर्ता,
मुंगेर।